

राष्ट्रीय जल नीति (2012) का मसौदा

1. प्रस्तावना

1.1 जल एक प्राकृतिक संसाधन है और जीवन, जीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार है। यह एक दुर्लभ संसाधन भी है। भारत में विश्व की 17% से अधिक आबादी है जबकि विश्व का केवल 4% नवीकरणीय जल संसाधन और विश्व के भू क्षेत्र का 2.6% भू क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त, सामयिक और स्थानिक असमान वितरण के कारण जल की उपयोग योग्य मात्रा और सीमित हो जाती है। इसके अलावा, देश के किसी न किसी हिस्से में प्रायः बाढ़ और सूखे की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। एक तेजी से विकासशील राष्ट्र में जनसंख्या बढ़ने तथा आवश्यकताओं में बढ़ोतरी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए, भविष्य में उपयोग योग्य जल की उपलब्ध मात्रा में और सीमितता आएगी तथा विभिन्न प्रयोक्ता समूहों के बीच जल विवादों के और गहराने की संभावना है। जनता में जल की समग्र कमी और आर्थिक मूल्य के विषय में जागरूकता की कमी के कारण जल की बर्बादी और अकुशल उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त, जल संसाधनों का बंटवारा असमान है तथा जल संसाधनों की आयोजना, प्रबंधन और उपयोग के विषय में एकीकृत परिप्रेक्ष्य की कमी है। राष्ट्रीय जल नीति का उद्देश्य मौजूदा स्थिति का संज्ञान लेने तथा नियम और संस्थाओं के सर्वसमावेशक प्रणाली के सृजन और एकीकृत राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कार्य योजना हेतु ढांचे का प्रस्ताव रखना है।

1.2 भारत में वर्तमान परिदृश्य से जल संसाधनों और उनके प्रबंधन संबंधी कई प्रकार की चिंताएं सामने आई हैं जिनमें से महत्वपूर्ण चिंताएं इस प्रकार हैं :-

- (i) भारत के बड़े हिस्सों में पहले ही जल की कमी हो चुकी है। जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और जीवन शैली में परिवर्तन के कारण जल की मांग में तेजी से बढ़ोतरी की वजह से जल सुरक्षा के विषय में गंभीर चुनौतियां बन गई हैं।
- (ii) जल की उपलब्धता में बहुत स्थानिक और कालिक अंतर है जो जलवायु परिवर्तन के कारण और अधिक बढ़ सकता है जिसके कारण जल संकट और बढ़ेगा तथा जल संबंधी आपदाओं अर्थात् बाढ़, अधिक भू कटाव तथा सूखे की घटनाओं आदि में वृद्धि होगी।

- (iii) जलवायु परिवर्तन से समुद्र जल का स्तर भी बढ़ सकता है । इसकी वजह से भूजल जलभृतों/सतही जल में लवणता का प्रवेश हो सकता है और तटीय क्षेत्रों में जल-प्लावन बढ़ सकता है।
- (iv) कुछ क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता की समस्या अभी भी है। विभिन्न क्षेत्रों में और एक ही क्षेत्र के विभिन्न लोगों के बीच जल उपलब्धता में विषमता है और इससे सामाजिक अराजकता हो सकती है।
- (v) भूमि जल हालांकि जल विज्ञानीय चक्र और सामुदायिक संसाधन का हिस्सा है लेकिन इसे अभी भी वैयक्तिक संपत्ति मानकर इसकी निरंतरता के विषय में सोचे समझे बिना इसका विषम दोहन किया जाता है जिसके कारण कई क्षेत्रों में अति-दोहन की स्थिति बन गई है।
- (vi) जल संसाधन परियोजनाएं, जोकि बहुसंख्यक पणधारियों वाली बहुआयामी परियोजनाएं होती हैं, की आयोजना और कार्यान्वयन, अनुकूलतम उपयोग, पर्यावरण का स्थायित्व और लोगों को समग्र लाभ के विषय पर समुचित ध्यान दिए बिना विखंडित रूप से किया जा रहा है।
- (vii) जल की हिस्सेदारी के संबंध में अंतर्राज्यीय, अंतरक्षेत्रीय विवादों के कारण, बेसिन/उप बेसिन आधार पर वैज्ञानिक योजना के माध्यम से जल के अनुकूलतम उपयोग में बाधा आती है।
- (viii) मौजूदा जल संसाधन अवसंरचनाओं का समुचित अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है जिसके कारण उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है।
- (ix) प्राकृतिक जल स्रोतों और जल निकास मार्गों पर अतिक्रमण किया जा रहा है और उन्हें अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है।
- (x) जल स्रोतों में बढ़ता प्रदूषण पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने के साथ-साथ सुरक्षित जल की उपलब्धता को भी प्रभावित कर रहा है।
- (xi) जल की समग्र कमी और आर्थिक मूल्य के विषय में लोगों में कम जागरूकता होने के कारण जल की बर्बादी और अकुशल उपयोग होता है।
- (xii) वैज्ञानिक आयोजना, आधुनिक तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विश्लेषणात्मक क्षमताओं से प्रशिक्षित पर्याप्त कर्मियों की कमी के कारण अच्छे जल प्रबंधन में बाधा आती है।
- (xiii) जल संबंधी समस्याओं के विषय में समग्र और अंतर-विषयक दृष्टिकोण नहीं है।

(xiv) जल संबंधी निर्णय लेने वाले प्रभारी सार्वजनिक अभिकरण पणधारियों से परामर्श किए बगैर अपने आप निर्णय लेते हैं।

1.3 जल संसाधनों के विषय में सार्वजनिक नीतियों का संचालन, कतिपय बुनियादी नियमों द्वारा करने की आवश्यकता है ताकि जल संसाधनों की आयोजना, विकास और प्रबंधन के दृष्टिकोणों में कुछ साझापन हो। ये बुनियादी नियम इस प्रकार हैं :-

- (i) जल संसाधनों की आयोजना, विकास और प्रबंधन, मानवीय, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एकीकृत और पर्यावरणिक तौर पर सुदृढ़ आधार पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में संचालित करने की आवश्यकता है।
- (ii) जल के उपयोग और आवंटन में समानता और सामाजिक न्याय का नियम अपनाया जाना चाहिए।
- (iii) समानता, सामाजिक न्याय और स्थायित्व के लिए सूचित निर्णय द्वारा अच्छा संचालन बहुत जरूरी है।
- (iv) खाद्य सुरक्षा, जीविका तथा सभी के लिए समान और निरंतर विकास हेतु राज्य द्वारा सार्वजनिक धरोहर के सिद्धांत के तहत जल का प्रबंधन सामुदायिक संसाधन के रूप में किए जाने की आवश्यकता है।
- (v) सुरक्षित और साफ जल एवं स्वच्छता को जीवन का अधिकार माना जाना चाहिए जो कि जीवन के पूर्ण आनंद और अन्य मानव-अधिकारों के लिए जरूरी है। इस प्रकार, ऐसी मानवीय आवश्यकताओं के लिए जल को अन्य सभी प्रयोगों के मुकाबले सर्वोपरि प्राथमिकता होनी चाहिए।
- (vi) स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के लिए जल की आवश्यकता से अधिक उपलब्ध जल को आर्थिक वस्तु माना जाना चाहिए ताकि इसका संरक्षण और कुशल उपयोग बढ़ सके।
- (vii) जल पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और इसलिए पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।
- (viii) जल चक्र के सभी घटक अर्थात् वाष्प-वाष्पोत्सर्जन, वर्षण, अपवाह, नदी झीलें, मृदा नमी और भूमि जल, समुद्र आदि परस्पर आधारित होते हैं तथा मूलभूत जल विज्ञानीय इकाई नदी बेसिन है जिसे आयोजना के लिए मूलभूत इकाई माना जाना चाहिए।

- (ix) जल गुणवत्ता और मात्रा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके एकीकृत ढंग से प्रबंधन की आवश्यकता है जिसके लिए अन्य बातों के साथ साथ प्रदूषण और जल बर्बादी को कम करने हेतु आर्थिक प्रोत्साहन और दंड विधियों के उपयोग समेत व्यापक पर्यावरणीय प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
- (x) जल संसाधनों की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, जल प्रबंधन संबंधी निर्णयों में एक घटक होना चाहिए।

2. जल संबंधी ढांचागत कानून

2.1 यद्यपि यह माना जाता है कि जल के संबंध में समुचित नीतियां, कानून और विनियमन बताने का अधिकार राज्य का है तथापि जल संबंधी सामान्य सिद्धांतों का सर्वसमावेशक राष्ट्रीय विधायी ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है ताकि देश के प्रत्येक राज्य में जल के संचालन हेतु आवश्यक विधान बनाने तथा स्थानीय जल स्थिति से निपटने के लिए सरकार के निचले स्तरों पर आवश्यक प्राधिकार सौंपने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

2.2 ऐसे ढांचागत कानून में जल को केवल दुर्लभ संसाधन ही नहीं बल्कि जीवन और पारिस्थितिकी को बनाए रखने के साधन के रूप में भी मान्यता दी जानी चाहिए। अतः खाद्य सुरक्षा, जीविका और सभी के लिए समान ओर निरंतर विकास हेतु राज्य द्वारा सार्वजनिक धरोहर के सिद्धांत के अंतर्गत जल का सामुदायिक संसाधन के रूप में प्रबंधन करने की आवश्यकता है। भारतीय भोगाधिकार अधिनियम, 1882 में उस प्रावधान का संशोधन करना पड़ सकता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधिनियम भूमि स्वामी को उसकी भूमि के अंतर्गत भूमि जल के लिए मालिकाना हक प्रदान करता है।

2.3 जल के सभी रूपों (वर्षा, मृदा नमी, भूमि और सतही जल समेत) के एकीकृत परिप्रेक्ष्य में बेसिन/उप बेसिन को इकाई मानकर भूमि और जल संसाधनों की वैज्ञानिक आयोजना सुनिश्चित करने और आवाह एवं कमान दोनों क्षेत्रों का समग्र व संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय को सुलभ बनाने हेतु अंतर राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के अनुकूलतम विकास के वास्ते एक व्यापक विधान की आवश्यकता है। विधान में अन्य बातों के साथ-साथ बेसिन प्राधिकरणों की स्थापना तथा बेसिनों में जल उपयोग की आयोजना, प्रबंधन और विनियमन हेतु समुचित शक्तियां सौंपने की आवश्यकता है।

3. जल के उपयोग

3.1 केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों (संचालक संस्थाएं) को उसके सभी नागरिकों को आवश्यक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए सुरक्षित जल की न्यूनतम मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसे परिवार के सदस्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।

3.2 यह मानते हुए कि नदी प्रवाह में न्यून अथावा शून्य प्रवाह, लघु बाढ़ (फ्रेशेट्स), बड़ी बाढ़ आदि के रूप विविधता होती है, नदी की पारिस्थितिकी आवश्यकताएं विकासात्मक आवश्यकताओं को शामिल करते हुए निर्धारित की जानी चाहिए। नदी प्रवाह का एक हिस्सा पारिस्थितिकीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए अलग रखा जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्यून और अधिक प्रवाह विनियमित भूमि जल उपयोग के माध्यम से कम प्रवाह वाले मौसम में आधार प्रवाह सहयोग के साथ प्राकृतिक प्रवाह पद्धति के अनुपातिक हो।

3.3 मानव जाति के जीवित रहने और पारिस्थितिकीय प्रणाली के बनाए रखने के लिए अपेक्षित जल की न्यूनतम मात्रा को पूरा करने के बाद, जल को गरीबों की मूलभूत जीविकोपार्जन में सहयोग और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्राथमिकता देते हुए आर्थिक वस्तु के तौर पर उपयोग किया जाना चाहिए।

3.4 भारत के विपुल जल मात्रा वाले पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल उपयोग अवसंरचना कमजोर है, खाद्य सुरक्षा के लिए इसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

3.5 समुदाय को जल की स्थानीय उपलब्धता के अनुसार जल का उपयोग करने के लिए जागरूक बनाया जाना चाहिए और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समुदाय आधारित जल प्रबंधन सांस्थानिकृत और सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

4. जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन

4.1 जलवायु परिवर्तन से जल संसाधनों की विषमता में बढ़ोतरी होने की संभावना है जिससे मानव स्वास्थ्य और जीविका प्रभावित होगी। इसलिए सूक्ष्म स्तर पर जलवायु के अनुरूप प्रौद्योगिकीय विकल्प अपनाने के लिए समुदाय की क्षमता बढ़ाने हेतु विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

4.2 अनुकूलन कार्यनीतियों में अन्य बातों के साथ साथ जल का उसके विभिन्न रूपों अर्थात् मृदा नमी, तालाब, भूमि जल, लघु और बड़े जलाशयों में और उनके संयोजन में अधिक जल भंडारण शामिल हो सकते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण विषमता में वृद्धि से निपटने के लिए तंत्र उपलब्ध कराते हैं।

4.3 विभिन्न कृषि कार्यनीतियां तैयार करने, मृदा कटाव को कम करने और मृदा उर्वरकता में सुधार हेतु स्थानीय अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थाओं से वैज्ञानिक सूचना प्राप्त करके भू-मृदा जल प्रबंधन में पणधारियों की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रति प्रवाह और अनुप्रवाह क्षेत्रों में लागत की हिस्सेदारी विकसित की जानी चाहिए क्योंकि इन उपायों से प्रति प्रवाह क्षेत्र की नदियों में गाद की मात्रा कम हो सकती है और अनुप्रवाह क्षेत्र की संरचनाओं का उपयोगी जीवन और उनसे होने वाला लाभ बढ़ सकता है।

4.4 जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव को देखते हुए समुचित कृषिगत कार्यनीतियां और फसल पद्धति अपनाने की आवश्यकता है। इसे हम जल प्रयोक्ताओं को शामिल करके उन्हें समुचित रूप से सुग्राही बनाकर और उनके क्षमता निर्माण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

4.5 जल संसाधन संरचनाओं अर्थात् बांध, बाढ़ सुरक्षा तटबंध, ज्वार सुरक्षा तटबंध आदि की आयोजना और प्रबंधन में संभावित जलवायु परिवर्तनों से निपटने वाली कार्यनीतियां शामिल होनी चाहिए। संभावित जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर नई जल संसाधन परियोजनाओं को स्वीकृति के मानदण्ड का पुनःनिर्धारण करने की आवश्यकता है।

5. उपयोग हेतु उपलब्ध जल में वृद्धि करना

5.1 देश में जल संसाधन की उपलब्धता का वैज्ञानिक पद्धति से आकलन और आवधिक रूप से अर्थात् प्रत्येक पांच वर्ष में, समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। जल संसाधन आयोजना के दौरान जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न घटकों के कारण जल उपलब्धता के रूझानों का आकलन कर विचार में रखना चाहिए।

5.2 वर्तमान अनुमान के अनुसार, भारत में प्रति वर्ष औसतन लगभग 4000 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) वर्षा होती है जोकि इसका मूलभूत जल संसाधन है। इसमें से प्राकृतिक वाष्पीकरण-वाष्पोत्सर्जन के बाद नदियों एवं जलभृतों के माध्यम से औसत वार्षिक प्राकृतिक प्रवाह लगभग 1869 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है। यदि बड़े अंतरबेसिन अंतरण को छोड़ दिया जाए तो इसमें से वर्तमान कार्यनीतियों से केवल लगभग 1123 बीसीएम जल उपयोग योग्य है। इस प्रकार जल की उपलब्धता सीमित

है परन्तु जनसंख्या वृद्धि, तेजी से हो रहे शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास के कारण जल की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। इसलिये जल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उपयोग हेतु जल की उपलब्धता को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उपयोग योग्य जल संसाधन में वृद्धि के लिए वर्षा का प्रत्यक्ष उपयोग एवं अपरिहार्य वाष्प-वाष्पोत्सर्जन को कम करना नई अतिरिक्त कार्यनीतियां हैं।

5.3 देश में भूजल संसाधन (पुनर्भरणीय एवं गैर-पुनर्भरणीय दोनों) की मात्रा एवं गुणवत्ता जानने के लिए जलभृतों की स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता है। इसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जाए।

5.4 अति-दोहित क्षेत्रों में जल उपयोग की उन्नत तकनीकें अपना कर, जल के कुशल उपयोग को प्रोत्साहन देकर और जलभृतों के समुदाय आधारित प्रबंधन को बढ़ावा देकर भूजल स्तर में गिरावट को रोके जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जहां आवश्यक हो कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए जिससे जल की निकासी जल के पुनर्भरण से कम हो। इससे जलभृतों से सतही प्रणाली को आधारभूत प्रवाह उपलब्ध हो सकेगा और पारिस्थितिकी बनाई रखी जा सकेगी।

5.5 अंतरबेसिन अंतरण केवल उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं होता बल्कि आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और समानता एवं सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए भी होता है। जल की कमी वाले क्षेत्रों में गिरते हुए भूजल का पुनर्भरण करने हेतु बाढ़ के जल के अंतरबेसिन अंतरण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यदि अंतरण एक खुले बेसिन से एक बंद बेसिन की ओर है तो जल के उपयोग में वृद्धि होती है। ऐसे अंतरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

5.6 मृदा में नमी बढ़ाने, गाद में कमी लाने एवं समग्र भूमि व जल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जलग्रहण क्षेत्र विकास क्रियाकलापों को व्यापक रूप से क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। किसानों द्वारा खेत के तालाबों एवं अन्य मृदा व जल संरक्षण उपाय अपना कर वर्षा जल संचयन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना जैसे चालू कार्यक्रमों का यथासंभव लाभ उठाया जा सकता है।

6. मांग प्रबंधन एवं जल उपयोग दक्षता

6.1 उपयोग योग्य जल संसाधन की उपलब्धता बढ़ाने की सीमाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण आपूर्ति में बढ़ती विषमता को देखते हुए भविष्य में मांग का पूरा करना मांग प्रबंधन पर ज्यादा निर्भर करेगा, और इसलिए इसे प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, विशेष तौर पर (क) एक कृषि प्रणाली विकसित करके जिससे जल के उपयोग में मितव्ययता एवं जल से अधिकतम लाभ मिले और (ख) जल के उपयोग में अधिकतम कुशलता लाकर एवं अपव्यय को रोक कर।

6.2 जल के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करने एवं बढ़ावा देने के लिये विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल उपयोग हेतु मानदण्ड निर्धारित करने की प्रणाली अर्थात् जल खपत स्तर और जल लेखा-जोखा विकसित की जानी चाहिए। “परियोजना” एवं “बेसिन” जल उपयोग कुशलता में सतत जल संतुलन तथा जल लेखा अध्ययन के माध्यम से सुधार लाये जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से जल के कुशल उपयोग के प्रोत्साहन, विनियमन एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थागत व्यवस्था की जाएगी।

6.3 वापसी के प्रवाह सहित उपलब्ध जल के पुनःचक्रण एवं पुनः उपयोग को जितना संभव हो उतना बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

6.4 परियाजना वित्तपोषण की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए कि जल के कुशल एवं मितव्ययी उपयोग को बढ़ावा मिले और चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुगम बनाया जा सके।

6.5 सिंचाई उपयोग में जल बचाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म सिंचाई (टपक, छिड़काव, आदि), स्वचालित सिंचाई प्रचालन, वाष्पीकरण-वाष्पोत्सर्जन न्यूनीकरण आदि जैसी पद्धतियों को बढ़ावा एवं प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बहुत से स्थानों पर मानसून में सिंचाई नहरों से रिसाव के परिणामस्वरूप भूमिगत भंडारण का पुनर्भरण होता है जिससे कम प्रवाह वाले मौसम में अधिक संयुक्त भूजल उपयोग हो पाता है और ऐसे पुनःचक्रण के लाभों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

6.6 छोटे बंधों, खेत तालाबों, कृषि एवं अभियांत्रिकी पद्धतियों और जल ग्रहण क्षेत्र विकास के तरीकों आदि के माध्यम से अत्यधिक लघु स्थानीय स्तर की सिंचाई को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है। तथापि, उनकी बाह्यताओं, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों जैसे अनुप्रवाह में गाद में कमी आना तथा जल उपलब्धता में कमी आना, को ध्यान में रखा जाए।

6.7 यदि जल उपयोग पद्धति से भूजल में अस्वीकार्य गिरावट अथवा वृद्धि, लवणता, क्षारीयता अथवा इसी प्रकार की गुणवत्ता समस्याएं आदि होती हैं तो उपयुक्त उपार्यों की आयोजना की दृष्टि से निगरानी के लिए प्रयोक्ताओं को शामिल करते हुए एक समवर्तीतंत्र होना चाहिए।

7. जल का मूल्य निर्धारण

7.1 जीवन एवं पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए पहले से अधिकार प्राप्त उपयोग के अतिरिक्त जल को एक आर्थिक वस्तु के रूप में समझे जाने की आवश्यकता है और इसलिये इसका मूल्य जल उपयोग कुशलता को बढ़ावा देने एवं जल से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्धारित किया जाना चाहिए। जहां जल के मूल्य पर प्रशासनिक नियंत्रण की पद्धति जारी रखनी पड़ सकती है, वहां जल मूल्य पर प्रशासनिक नियंत्रण अधिकाधिक आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार होना चाहिए।

7.2 लाभार्थी लोगों के विचार जानने के बाद उप-बेसिन, नदी बेसिन एवं राज्य स्तर पर मात्रात्मक आधार को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक राज्य में एक जल शुल्क प्रणाली स्थापित करने एवं जल प्रभार के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए जो कि इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए कि क्रास सब्सिडी, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए जल शुल्क में जल संसाधन के प्रशासन, प्रचालन एवं रखरखाव की लागत की पूर्ण वसूली शामिल हो।

7.3 जल का निर्धारित मानदंडों के अनुसार परिशोधन करने के बाद इसके पुनःचक्रण एवं पुनः उपयोग को एक उचित प्रकार से नियोजित शुल्क प्रणाली के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें जल उपयोग की नई मात्रा के लिए एक लागत हो, पुनः उपयोग हेतु लौटाए गए उचित प्रकार से परिशोधित जल के लिए शुल्क की वापसी, और प्रदूषित जल लौटाने के लिए भारी जुर्माना लगाया जाए।

7.4 जल प्रयोक्ता संघों को जल शुल्क एकत्रित करने एवं एक हिस्सा रखने, उन्हें आवंटित जल की मात्रा का प्रबंधन करने और उनके अधिकार क्षेत्र में वितरण प्रणाली के रखरखाव के लिए वैधानिक शक्तियां दी जानी चाहिए।

7.5 विद्युत का बहुत कम मूल्य निर्धारण करने से विद्युत एवं जल दोनों की बर्बादी होती है। इसे बदलने की जरूरत है।

8. नदी क्षेत्रों, जल स्रोतों एवं अवसंरचना का परिरक्षण

8.1 नदी क्षेत्रों, जल स्रोतों एवं अवसंरचना का परिरक्षण सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से एक नियोजित पद्धति से शुरू किया जाना चाहिए। बाढ़, पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों में संतुलन लाने के लिए जल स्रोतों एवं जल मार्गों और/अथवा संबंधित नम भूमि, बाढ़ मैदानों, पारिस्थितिकीय बफर और विशिष्ट सौंदर्यपरक मनोरंजनात्मक और/अथवा सामाजिक आवश्यकताओं हेतु आवश्यक क्षेत्रों की भंडारण क्षमताओं का प्रबंधन हर संभव सीमा तक एक सिम्मलित रूप से किया जाए।

8.2 जल स्रोतों (जैसे नदियां, झीलें, टैंक, तालाब, आदि) और जल निकास मार्गों (सिंचित क्षेत्र और शहरी क्षेत्र जल निकास) का अतिक्रमण एवं अन्य उपयोगों में नहीं होने देना चाहिए, और जहां भी ऐसा हुआ है, इसे व्यवहार्य सीमा तक पुनःस्थापित किया जाना चाहिए ।

8.3 जलीय पारिस्थितिकी, नम भूमि एवं जिन बाढ़ मैदानों पर तटबंध बनाए गए हैं उनकी पर्यावरणीय आवश्यकताओं को पहचानने की आवश्यकता है और योजना बनाते समय इन पर विचार किया जाना चाहिए ।

8.4 जल के उद्गम स्थलों तथा स्रोतों को प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए । आवधिक तीसरा पक्ष निरीक्षण की प्रणाली विकसित की जानी चाहिए और प्रदूषक द्वारा भुगतान करने के सिद्धांत के आधार पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए । जुर्माने के रूप में वसूल किए गए धन को जल परिशोधन को सुविधाजनक बनाने हेतु निर्धारित निधि में डाल दिया जाना चाहिए ।

8.5 भूजल के लिए गुणवत्ता को बनाए रखना और इसमें सुधार और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं, चूंकि इसे पुनः स्वच्छ बनाना अत्यंत कठिन है । यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि औद्योगिक बहिःस्राव स्थानीय भंडारण, उर्वरकों एवं रसायनों के अवशेष आदि भूजल तक न पहुंचें ।

8.6 अभीष्ट लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए जल संसाधन अवसंरचना का उचित रखरखाव किया जाएगा । मरम्मत एवं रखरखाव के लिए एकत्रित जल शुल्क के साथ-साथ अवसंरचना विकास की लागत का एक उचित प्रतिशत हिस्सा अलग रखा जाए। परियोजनाओं के निर्माण के लिए संविदा में उचित रखरखाव की अधिक लंबी अवधि एवं अवसंरचना को अच्छी हालत में सौंपने का प्रावधान अंतर्निहित होना चाहिए ।

8.7 कानूनी अधिकार प्राप्त बांध सुरक्षा सेवाएं राज्यों में और केन्द्र में भी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है । उपयुक्त सुरक्षा उपाय सर्वोच्च प्राथमिकता पर शुरू किये जाने चाहिए ।

9. परियोजना की आयोजना एवं कार्यान्वयन

9.1 अंतर्विषयक प्रकृति की होने के कारण जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना के समय परियोजना प्रभावित एवं लाभार्थी परिवारों के साथ परामर्श से तकनीकी-आर्थिक मुद्दों के अतिरिक्त सामाजिक एवं पर्यावरणीय पक्षों पर भी विचार किया जाना चाहिए । जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना एवं प्रबंधन के लिए अधिकतर पणधारियों हेतु न्यायोचित एवं सामान्यतः स्वीकार्य समाधान खोजने पर जोर देते हुए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन अपनाया जाना चाहिए ।

9.2 निर्धारित समय एवं लागत से अधिक समय व लागत से बचने के लिए समय रहते आवश्यक कदम लेने हेतु परियोजना, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर समवर्ती निगरानी शुरू की जानी चाहिए ।

9.3 जल संसाधन परियोजनाओं के सभी घटकों की आयोजना एवं निष्पादन समरूप प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे अभीष्ट लाभ घटक के पूरा होने के तुरंत बाद मिलने शुरू हो जाएं और सृजित क्षमता व उपयोग की गई क्षमता के बीच कोई अंतर न हो ।

9.4 स्थानीय शासी निकायों जैसे पंचायतों, नगरपालिकाओं, निगमों आदि और जल प्रयोक्ता संघों को परियोजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वयन में शामिल किया जाना चाहिए ।

9.5 जल विद्युत परियोजनाओं सहित सभी जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना अधिकतम व्यवहार्यसीमा तक बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में की जानी चाहिए जिनमें उपलब्ध सांस्थितिकी एवं जल संसाधन से अधिकतम लाभ लेने के लिए भंडारण का प्रावधान हो ।

10. पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास

10.1 परियोजना तैयार करने की शुरुआत में ही परियोजना प्रभावित परिवारों की पहचान, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास पर उचित प्रकार से विचार किया जाएगा । भूमि के नुकसान, घर एवं आजीविका बनाए रखने के लिए प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त परियोजना प्रभावित परिवारों को प्रगति में हिस्सेदार बनाया जाना चाहिए और परियोजना से लाभान्वित परिवारों को मिलने वाले लाभ की तुलना में हिस्सा दिया जाना चाहिए ।

10.2 परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं उन्हें दी जाने वाली प्रतिपूर्ति की लागत का कुछ हिस्सा जल के उपयुक्त शुल्क निर्धारण के माध्यम से परियोजना से लाभान्वित परिवारों द्वारा वहन किया जाना चाहिए ।

10.3 जल संसाधन परियोजनाओं के लिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति इस संदर्भ में राष्ट्रीय अधिनियम/दिशानिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए ।

11. बाढ़ एवं सूखे के लिए पूर्व-तैयारी

11.1 जहां संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक उपायों के माध्यम से बाढ़ एवं सूखे जैसी जल संबंधी आपदाओं को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, वहीं बाढ़ एवं सूखे से निपटने की पूर्व तैयारी को एक विकल्प के रूप में जोर दिया जाना चाहिए ।

11.2 सूखे से निपटने के लिए विभिन्न कृषि कार्यनीतियों को विकसित करने तथा मृदा एवं जल उत्पादकता में सुधार करने के लिए स्थानीय, अनुसंधान एवं वैज्ञानिक संस्थानों से प्राप्त वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर भूमि, मृदा, ऊर्जा एवं जल प्रबंधन करना चाहिए। आजीविका सहायता और गरीबी उपशमन के लिए समेकित खेती प्रणालियों और गैर कृषि विकास पर भी विचार किया जाना चाहिए ।

11.3 नदी प्रवाह द्वारा भूमि कटाव, जिससे स्थायी नुकसान होता है, की हानि को रोकने के लिए रीवेटमेंट लगाने, स्पर, तटबंधों इत्यादि के निर्माण हेतु आयोजना, निष्पादन, निगरानी और अनुरक्षण स्थलाकृति विज्ञानीय अध्ययनों के आधार पर किया जाना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक तीव्र वर्षा होने तथा मृदा कटाव होने की संभावना है ।

11.4 बाढ़ पूर्वानुमान बाढ़ का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए अति महत्वपूर्ण है तथा इसका देश भर में सघन विस्तार और पूर्वानुमान समय को बढ़ाने के लिए वास्तविक समय आंकड़ा संग्रहण प्रणाली तथा मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमान का उपयोग करते हुए आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए ।

11.5 जलाशयों के संचालन संबंधी समय सारणी को विकसित तथा इसका कार्यान्वयन इस प्रकार करना चाहिए ताकि बाढ़ के मौसम के दौरान बाढ़ के पानी के भंडारण की क्षमता प्राप्त हो सके तथा अवसादन के असर को कम किया जा सके ।

11.6 बाढ़प्रवण समस्त क्षेत्रों का संरक्षण करना व्यवहार्य नहीं हो पाएगा । अतः बाढ़ से निपटने के लिए पद्धतियों को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है । बाढ़ से निपटने की कार्यनीतियों को विकसित करने के लिए बारंबारता आधारित बाढ़ आप्लावन मानचित्रों को तैयार किया जाना चाहिए।

11.7 आकस्मिक और अचानक बाढ़ से संबंधित आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी के लिए बांध / तटबंध क्षति संबंधी अध्ययनों तथा आपातकालीन कार्रवाई योजनाओं / आपदा प्रबंधन योजनाएं बनाना तथा उसका आवधिक अद्यतनीकरण करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए । पर्वतीय क्षेत्रों में हिमानी झील टूटने तथा भू-स्खलन बांध टूटने से बाढ़ आने संबंधी अध्ययन को संयंत्रीकरण सहित आवधिक निगरानी समेत किया जाना चाहिए ।

12. जल आपूर्ति एवं स्वच्छता

12.1 शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के निर्धारण के बीच अधिक असमानता को हटाने की आवश्यकता है । ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित मूल जल निकास व्यवस्था के साथ जल आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ।

12.2 स्थानिक भूमि जल की गुणवत्ता की समस्या (जैसे फ्लोराईड अथवा आर्सेनिक) वाले ग्रामीण क्षेत्रों को नलिका से सतही जल की आपूर्ति की जानी चाहिए । यदि स्थानीय प्रणालियों द्वारा भूमिजल उपचार किया जाता है तो गाढ़े प्रदूषित जल को हटाने की समस्या का पर्यावरणीय खतरों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त समाधान किया जाना चाहिए । अन्य विकल्प यह हो सकता है जहां व्यवहार्य हो, अच्छी गुणवत्ता वाले जल को मिलाने से भूमि जल की गुणवत्ता में सुधार किया जाए ।

12.3 शहरों में घरेलू जल की आपूर्ति सतही जल से करना बेहतर होगा । जहां आपूर्ति का विकल्प उपलब्ध हो, वहां घरेलू जल आपूर्ति के लिए बेहतर विश्वसनीयता और गुणवत्ता वाले स्रोत को चुना जाना चाहिए । घरेलू जल की आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए उपयोग के लिए विभिन्न स्रोतों का अदल-बदल संभव होना चाहिए। साथ ही शहरों में रसोई और स्नानागारों से बहिस्राव जल को प्राथमिक उपचार के पश्चात् प्रसाधनों की सफाई के लिए पुनः इस्तेमाल करने को बढ़ावा देना चाहिए ।

12.4 शहरी घरेलू जल प्रणालियों में जल लेखा जोखा का संग्रहण करके प्रकाशित करने की आवश्यकता है जिसमें जल के रिसाव और चोरी परिलक्षित हो जिन्हें सामाजिक मुद्दों पर विधिवत् ध्यान देते हुए कम किया जाना चाहिए ।

12.5 शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोज्य जल की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु जहां तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, अलवणीकरण किए जाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

12.6 शहरी जल आपूर्ति और मल जल उपचार परियोजनाओं का समेकन और निष्पादन साथ-साथ किया जाना चाहिए । जल आपूर्ति बिलों में मल जल निकास प्रभारों को शामिल करना चाहिए ।

12.7 जल की कमी वाले क्षेत्रों में उद्योगों को या तो कम जल से काम चलाने या विशिष्ट मानक के अनुसार उपचारित बहिस्राव जल को जल विज्ञानीय प्रणाली को वापस करने का दायित्व अपनाना चाहिए । संयंत्र में उपचार न करके जल का अनावश्यक उपयोग करने अथवा भूमि जल को प्रदूषित करने की प्रवृत्तियों को रोकने की आवश्यकता है ।

12.8 औद्योगिक प्रदूषकों को रोकने तथा जल के पुनःचक्रण / पुनः उपयोग जो अन्यथा पूंजीगत होती हैं को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता तथा प्रोत्साहन देने का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए ।

13 संस्थागत व्यवस्थाएं

13.1 प्रत्येक राज्य में एक जल विनियमन प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए । प्राधिकरण अन्य बातों के साथ - साथ इस नीति में उल्लिखित नियमों के अनुसार सामान्यतः स्वायत्त ढंग से जल शुल्क प्रणाली तथा प्रभारों का निर्धारण और विनियमन करना चाहिए । प्राधिकरण को शुल्क प्रणाली के अलावा आवंटन का विनियमन करने, निगरानी प्रचालन करने, निष्पादन की समीक्षा करने तथा नीति में परिवर्तन करने संबंधी सुझाव इत्यादि देने जैसे कार्य भी करने चाहिए । राज्य में जल विनियमन प्राधिकरण को अंतः राज्यीय जल संबंधी विवादों का समाधान करने में भी सहयोग देना चाहिए ।

13.2 पक्षकार राज्यों के बीच जल से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने तथा मतैक्य बनाने, सहयोग और सुलह करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक तंत्र होना चाहिए । प्रत्येक राज्य में जल के विभिन्न प्रयोक्ताओं की जल की आपसी विरोधी मांगों संबंधी मतभेदों तथा राज्य के विभिन्न भागों के बीच के विवादों का भी सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए इसी तरह का तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ।

13.3 विवादों का सम्यक तरीके से तीव्र समाधान करने के लिए केन्द्र में एक स्थायी जल विवाद अधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। विवादों के समाधान के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के अच्छे कार्यालयों के अलावा जैसा मामला हो, माध्यस्थता एवं मध्यस्थता का रास्ता, भी अपनाया जाना चाहिए।

13.4 जल संसाधन की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन हेतु जिम्मेदार संस्थानों के सुदृढीकरण हेतु राज्य को 'सेवा प्रदाता' से सेवाओं के विनियामकों और व्यवस्थाधारकों की भूमिका में धीरे-धीरे हस्तांतरित होना चाहिए। जल संबंधी सेवाओं को समुचित "सार्वजनिक निजी भागीदारी" के उचित प्रारूप के अनुसार समुदाय तथा / अथवा निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

13.5 नदी बेसिन/उप बेसिन को एकक के रूप में लेते हुए समेकित जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम) जल संसाधनों की आयोजना, विकास और प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत होना चाहिए। केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों / संगठनों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और तदनुसार इन्हें बहु-विषयक बनाया जाना चाहिए।

13.6 वर्षा, नदी प्रवाहों, फसल एवं स्रोत द्वारा सिंचित क्षेत्र, दोनों सतही और भूमि जल द्वारा विभिन्न उपयोगों के लिए की गई उपयोगिता के संबंध में नियमित आधार पर समग्र आंकड़ों का संग्रहण करके सूचीबद्ध करने के लिए प्रत्येक नदी बेसिन हेतु समुचित संस्थागत व्यवस्था को विकसित करना चाहिए ताकि प्रत्येक नदी बेसिन के समुचित जल बजट और जल विज्ञानीय मापनों के आधार पर तैयार किए गए जलालेखों के अनुसार प्रत्येक वर्ष दस दिवसीय जलालेखों का प्रकाशन किया जा सके।

13.7 दोनों सतही और भू-जल की जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए प्रत्येक नदी बेसिन हेतु समुचित संस्थागत व्यवस्था को विकसित किया जाना चाहिए।

13.8 राज्यों को जल संसाधनों के संबंध में नवप्रवर्तन-कारी कार्य करने, संरक्षण करने और इनका कुशल उपयोग करने के लिए सुधारों और विकासात्मक उपायों को करने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

14 अंतर्राष्ट्रीय नदियां

14.1 बेसिन को विकास की एक इकाई के रूप में मानने के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए व्यवहार्यता और सरल अनुपालना के आधार पर पड़ोसी देशों से द्विपक्षीय आधार पर अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जलविज्ञानीय आंकड़ों का लगभग वास्तविक समय आधार पर आदान-प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने के प्रयास किए जाने चाहिए ।

14.2 अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल के बंटवारे और प्रबंधन हेतु सर्वोपरि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए तटवर्ती राज्यों के परामर्श से द्विपक्षीय आधार पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए केन्द्र में पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था की जानी चाहिए ।

15 आंकड़ा एवं सूचना प्रणाली

15.1 राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गुप्त श्रेणी के आंकड़ों को छोड़कर समस्त जलविज्ञानीय आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए । संपूर्ण देश से नियमित रूप से जलविज्ञानीय आंकड़ों (राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गुप्त श्रेणी के आंकड़ों को छोड़कर) का संग्रहण और सूचीबद्ध करने के लिए एक राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र को स्थापित करना चाहिए तथा प्रारंभिक प्रक्रियाबद्ध आंकड़ों का भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर खुले ओर पारदर्शी तरीके के रखरखाव किया जाना चाहिए । आंकड़ों की गोपनीयता की आवश्यकता के संबंध में आवधिक समीक्षा की जा सकती है । संभावित जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हिम और हिमनदों, वाष्पीकरण, समुद्रतटीय जलविज्ञानीय तथा जलविज्ञानी अध्ययन, नदी ज्यामितिक परिवर्तनों इत्यादि के संबंध में अति विस्तृत आंकड़ों का संग्रहण करने की आवश्यकता है । ऐसे आंकड़े संग्रहण के कार्यक्रम को विकसित और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ।

15.2 जल से संबंधित समस्त आंकड़ों जैसे वर्षा, हिम वर्षा, भू-स्थलाकृति, जलवायु, भू-विज्ञानीय, सतही जल, पारिस्थिकी, जल निकासी एवं उपयोग, सिंचित क्षेत्र, हिमानी इत्यादि से संबंधित आंकड़ों को सुपरिभाषित प्रक्रिया से समेकित किया जाना चाहिए तथा आंकड़ों को ऑनलाईन अद्यतन करने तथा जल के प्रबंधन के लिए सूचित निर्णय लेने के लिए विकसित आंकड़ा प्रणाली की व्यवस्था हेतु आंकड़ों के हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए ।

16 अनुसंधान एवं प्रशिक्षण आवश्यकता

16.1 जल क्षेत्र के मुद्दों का समाधान करने के लिए निरंतर अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की प्रगति को अवश्य बढ़ावा दिया जाएगा। जल संसाधन क्षेत्र में नवाचार कार्यों को प्रोत्साहन, मान्यता और पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

16.2 राज्यों को प्रौद्योगिकी अभिकल्प पद्धतियों, आयोजना और प्रबंधन पद्धतियों को अद्यतन करने, स्थान ओर बेसिन वार्षिक जल मापनों और लेखों को तैयार करने, जल प्रणालियों हेतु जलविज्ञानीय मापनों को तैयार करने तथा मानदण्ड और निष्पादन मूल्यांकन करने हेतु पर्याप्त अनुदान दिया जाना आवश्यक है।

16.3 इस तथ्य को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है कि विकसित देशों में जल क्षेत्र की क्षेत्रीय पद्धतियों में सूचना प्रौद्योगिकी और विश्लेषणात्मक क्षमताओं में प्रगति द्वारा क्रांति आई है। भारत में दोनों निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में सभी स्तरों पर जल आयोजकों और प्रबंधकों हेतु एक पुनः प्रशिक्षण एवं उत्तम सुधार कार्यक्रम प्रारंभ करने की आवश्यकता है।

16.4 जल संसाधन के बदलते परिदृश्य हेतु नीति निर्णयों के प्रभावों का मूल्यांकन करने तथा नीति निर्देशों को विकसित करने के लिए जल नीति में अनुसंधान हेतु एक स्वायत्त केन्द्र की भी स्थापना की जानी चाहिए।

16.5 जल क्षेत्र में कुशल लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल प्रबंधन में नियमित प्रशिक्षण और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर अवसंरचना और व्यावहारिक अनुसंधान के लिए नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए जिससे उन्हें विश्लेषण की प्रचलित प्रक्रिया में सुधार करने तथा संबंधित विभागों तथा समुदायों द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होगी।
